बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

–:::कार्यालय आदेश:::–

का0आ0–15/बि0स0से–01–01/2018 सा0प्र0 446 /, **पटना–15, दिनांक** 24-10-2018

सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय आदेश ज्ञापांक–427 दिनांक 09.11.2016 द्वारा श्री प्रमोद चन्द्र पाठक, सेवानिवृत सहायक को संविदा के आधार पर योगदान की तिथि से दो (02) वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए के लिए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना में नियोजित किया गया, जिसके आलोक में श्री पाठक द्वारा दिनांक 11.11.2016 को बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना में योगदान समर्पित किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07.2015 की कंडिका–3(2)(ख(v) में निहित प्रावधान के तहत संविदा पर नियोजित श्री पाठक की सेवा अवधि विस्तार के संबंध में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना से प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत श्री प्रमोद चन्द्र पाठक संविदा सहायक को दिनांक 11.11.2018 से एक (01) वर्ष के लिए सेवा अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2) यह नियोजन दिनांक 11.11.2018 से एक (01) वर्ष के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए होगी।

3) इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर इनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

4) संकल्प की कंडिका–3(6)(i) के अनुरूप इन्हें मासिक मानदेय देय होगा। कंडिका–3(6)(iv) के तहत सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित होगा। मासिक मानदेय की यह राशि संबंधित कर्मी को संविदा अवधि में कार्यरत रहने की स्थिति तक स्थिर रहेगी।

मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग के स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

5) सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में कंडिका–3(6)(ii) के अन्तर्गत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।

6) इन्हें सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त होगी तथा इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–15/ बि0स0से–01–01/2018 सा0प्र0 446 /, **पटना–15, दिनांक** 24-10-018

प्रतिलिपि:– मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार,पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–22 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/श्री प्रमोद चन्द्र पाठक, सेवानिवृत सहायक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

237 | PK/sudh/office order

9C

पत्र 0

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
–::कार्यालय आदेश::–

का0आ0--15/बि0स0से0–18–02/2016 सा0प्र0 447 **/, पटना–15, दिनांक** 25-10-018

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 10000 दिनांक 10.07.2015 द्वारा संविदा के आधार पर सेवा निवृत कर्मियों की सेवा लेने के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका--3(3)(ख) के तहत गठित विभाग स्तरीय चयन समिति की दिनांक 19.09.2018 की बैठक में लिये गये निर्णय एवं समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित सहायक/सेवानिवृत सहायकों को उनके नाम के सामने स्तम्भ–06 में अंकित विभाग में सहायक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजित किया जाता है:--

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	नियोजन का विभाग/कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	श्री राज देव पंडित	सहायक	02.10.1958	31.10.2018	जल संसाधन विभाग, बिहार,पटना
2	श्री शैलेश कुमार सिन्हा	सहायक	15.03.1956	31.03.2016	गृह विभाग बिहार, पटना, (अभियोजन निदेशालय)
3	श्री मनोरंजन कुमार	सहायक	11.10.1955	31.10.2015	गृह विभाग बिहार, पटना, (अभियोजन निदेशालय)

2. यह नियोजन योगदान की तिथि से दो वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए होगा।

3. इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर इनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

4. इनके द्वारा सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ्य होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र योगदान के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. उक्त सेवानिवृत कर्मियों के विरूद्ध किसी प्रकार के आरोप की सूचना प्राप्त होने पर नियोजन रद्द हो जायेगी।

6. आरक्षण के लाभ की अनुमान्यता के आधार पर तत्संबंधी प्रमाण–पत्र योगदान के समय प्राप्त कर लेने तथा उसकी प्रामाणिकता की सम्पुष्टि अनिवार्य होगा।

7. अनुशंसित अभ्यर्थी का नियोजन जिस पद विशेष से सेवानिवृत हुए है उसी पद पर अथवा समकक्ष पद पर होने के संबंध में सुनिश्चित हो लेंगे।

8. संकल्प की कंडिका–3(6)(i) के अनुरूप इन्हें मासिक मानदेय देय होगा। कंडिका–3(6)(iv) के तहत सेवा निवृत और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि संबंधित कर्मी को संविदा अवधि में कार्यरत रहने की स्थिति तक स्थिर रहेगी।

मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग/कार्यालय स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये अदायगियाँ इकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

9. सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में कंडिका–3(6)(ii) के अन्तर्गत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।

10. इन सेवानिवृत सहायको को सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।

11. इन सेवानिवृत सहायको को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

25/10/18

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:–15/बि0स0से0–18–02/2016 सा0प्र0 447 /, पटना–15, दिनांक 25-10-018

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/गृह विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–15, 16 एवं 17, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं संबंधित सभी सहायक/सेवा निवृत सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/10/18
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:–15/बि0स0से0–18–02/2016 सा0प्र0 447 /, पटना–15, दिनांक 25-10-018

प्रतिलिपि:– आई. टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/10/18
सरकार के अवर सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
::कार्यालय आदेश::

का0आ0–15/बि0स0से0–18–02/2016 सा0प्र0 448 **/, पटना–15, दिनांक** 25-10-018

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–26 दिनांक 18.01.2018 द्वारा श्री रामपूजन लाल गुप्ता, सेवानिवृत सहायक को संविदा के आधार पर योगदान की तिथि से दो (02) वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए राजस्व पर्षद, बिहार, पटना में नियोजित किया गया है। श्री गुप्ता की जन्म तिथि 19.07.1953 है। तदनुसार दिनांक 31.07.2018 को उनकी आयु 65 वर्ष पूर्ण हो जाती है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–10000 दिनांक 10.07.2015 की कंडिका 3(2)(क)(अ) एवं 3(2)(ख)(अ) के तहत विभाग स्तरीय चयन समिति की दिनांक 19.09.2018 की बैठक में लिये गये निर्णय एवं समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में श्री गुप्ता की संविदा अवधि दिनांक 18.07.2018 को 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरांत 67 वर्ष की आयु तक अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने की तिथि तक विस्तारित की जाती है।

3. यह नियोजन 65 वर्ष उपरांत 67 वर्ष पूर्ण अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने की तिथि तक के लिए होगा।

4. इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर इनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

5. संकल्प की कंडिका–3(6)(i) के अनुरूप इन्हें मासिक मानदेय देय होगा। कंडिका–3(6)(iv) के तहत सेवानिवृत और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि संबंधित कर्मी को संविदा अवधि में कार्यरत रहने की स्थिति तक स्थिर रहेगी।

मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग/कार्यालय स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये अदायगियाँ इकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

6. सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में कंडिका–3(6)(ii) के अन्तर्गत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।

7. इन्हें सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।

8. इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

25/10/18
(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:–15/बि0स0से0–18–02/2016 सा0प्र0 448 **/,पटना–15, दिनांक** 25-10-018

प्रतिलिपि:–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/10/18
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:–15/बि0स0से0–18–02/2016 सा0प्र0 448 **/,पटना–15, दिनांक** 25-10-018

प्रतिलिपि:– सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना एवं श्री रामपूजन लाल गुप्ता, संविदा पर नियोजित सहायक, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/10/18
सरकार के अवर सचिव